रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 71] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 5, 2011/चैत्र 15, 1933
No. 71] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 5, 2011/CHAITRA 15, 1933

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2011

सं. 2-46/2010-एमएईएफ.—केन्द्र सरकार, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के समझौता ज्ञापन के पैरा सं. 3 और नियम एवं विनियम के नियम संख्या X के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान में विभिन्न पदों पर भर्ती की पद्धति तथा निम्नलिखित नियम एवं विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (समूह 'क, ख, ग और घ' अराजपत्रित अननुसचिवीय पद) भर्ती नियमावली है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

प्रारंभिक संविधान.—(1) इन नियमों के लागू होने से पहले नियमित आधार पर नियुक्त कार्मिक को इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त माना जाएगा।

(2) प्रारंभिक संविधान के पद से पहले उप-नियम (1) में उल्लिखित कार्मिक की लगातार एवं नियमित सेवा की गणना प्रोन्नति, नियमतिकरण और सेवाकाल में पेंशन हेतु परीवीक्षा अवधि अर्हक सेवा के प्रयोजन से की जाएगी।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।